

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 30-9-14

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ / अलेसे-III / 8388-8392

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 03.04.2014 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4

लेखाकार

1	भरत लाल मीणा	06.09.13 से 05.02.14	कोषाधिकारी, करौली
---	--------------	----------------------	-------------------

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ / अलेसे-III / 8388-8392

दिनांक: 30-9-14

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कोषाधिकारी, करौली को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. सहायक निदेशक(अलेसे-III) मय अतिरिक्त प्रति निजी पत्रावली हेतु
4. श्री भरत लाल मीणा, लेखाकार(लिनक न0 4477) कोषालय, करौली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
5. व0 निजी सहायक, निदेशक
6. निजी पत्रावली

(कजोड़ मल मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)